रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 29 मार्च, 1990/8 चैत्र, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 मार्च, 1990

संख्या 1-26/90-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 1) जो दिनांक 28 मार्च, 1990 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

[redacted]

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

1990 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1990 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए 57,38,04,414 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां, जिनका योग 57,38,04,414 रुपये (सत्तावन करोड़, अठतीस लाख, चार हजार और चार सौ चौदह रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1989-90 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	3,43,000	—	3,43,000
2	राज्यपाल और मन्त्रि परिषद्	(राजस्व)	10,29,000	—	10,29,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	25,96,000	6,80,000	32,76,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	1,80,68,000	—	1,80,68,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	10,38,000	—	10,38,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	42,47,000	—	42,47,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	1,34,55,000	22,420	1,34,77,420
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	11,76,21,780	—	11,76,21,780
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,76,70,000	16,660	2,76,86,660
		(पूंजी)	2,000	29,409	31,409
10	लोक निर्माण	(पूंजी)	—	4,18,194	4,18,194
11	कृषि	(राजस्व)	28,50,00,000	—	28,50,0 0,000
		(पूंजी)	4,31,00,000	—	4,31,00,000
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(राजस्व)	1 9,61,000	—	19,61,000
		(पूंजी)	5,000	—	5,000
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	—	87,574	87,574
14	पशु पालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	1,34,48,000	—	1,34,48,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	14,16,000	—	14,16,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	100	7,77,797	7,77,897
		(पूंजी)	9,1 5,200	—	9,15,200
17	सड़कें और पुल	(पूंजी)	68,20,000	—	68,20,000
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	3,000	—	3,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	1,000	—	1,000
22	खाद्य और भण्डारण	(राजस्व)	1,50,01,000	—	1,50,01,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	1,43,15,000	—	1,43,15,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	6,14,000	—	6,14,000
28	जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	2,000	—	2,000
		(पूंजी)	3,000	—	3,000
29	वित्त	(पूंजी)	—	1,000	1,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	19,53,000	46,280	19,99,280
		(पूंजी)	10,98,000	—	10,98,000
		कुल जोड़ ..	57,17,25,080	20,79,334	57,38,04,414
		(राजस्व) ..	51,97,81,880	16,30,731	52,14,12,611
		(पूंजी) ..	5,19,43,200	4,48,603	5,23,91,803

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

शान्ता कुमार,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक 28 मार्च, 1990.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाइल सं0 फिन-ए-मी-(2) 2/90]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

Bill No. 1 of 1990

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1990

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 1990.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1990. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 57,38,04,414 (Fifty-seven crores, thirty-eight lakhs, four thousand, four hundred and fourteen rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1989-90 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of a further sum of Rs. 57,38,04,414 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1989-90.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	3,43,000	—	3,43,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	10,29,000	—	10,29,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	25,96,000	6,80,000	32,76,000
4	General Administration	(Revenue)	1,80,68,000	—	1,80,68,000
5	Land Revenue	(Revenue)	10,38,000	—	10,38,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	42,47,000	—	42,47,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	1,34,55,000	22,420	1,34,77,420
8	Education, Sports and Art and Culture	(Revenue)	11,76,21,780	—	11,76,21,780
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	2,76,70,000	16,660	2,76,86,660
		(Capital)	2,000	29,409	31,409
10	Public Works	(Capital)	—	4,18,194	4,18,194
11	Agriculture	(Revenue)	28,50,00,000	—	28,50,00,000
		(Capital)	4,31,00,000	—	4,31,00,000
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	19,61,000	—	19,61,000
		(Capital)	5,000	—	5,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	—	87,574	87,574
14	Animal Husbandry and Dairy Development.	(Revenue)	1,34,48,000	—	1,34,48,000
15	Fisheries	(Revenue)	14,16,000	—	14,16,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	100	7,77,797	7,77,897
		(Capital)	9,15,200	—	9,15,200
17	Roads and Bridges	(Capital)	68,20,000	—	68,20,000
19	Social Security, Welfare (including Nutrition).	(Revenue)	3,000	—	3,000
21	Co-operation	(Revenue)	1,000	—	1,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	1,50,01,000	—	1,50,01,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	1,43,15,000	—	1,43,15,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	6,14,000	—	6,14,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	2,000	—	2,000
		(Capital)	3,000	—	3,000
29	Finance	(Capital)	—	1,000	1,000
31	Tribal Development	(Revenue)	19,53,000	46,280	19,99,280
		(Capital)	10,98,000	—	10,98,000
	Grand Total ..		57,17,25,080	20,79,334	57,38,04,414
	(Revenue) ..		51,97,81,880	16,30,731	52,14,12,611
	(Capital) ..		5,19,43,200	4,48,603	5,23,91,803

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1989-90.

SHANTA KUMAR,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 28th March, 1990.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department, File No. Fin. A.-C(2) 2/90]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1990, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।